



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218851
CG-DL-E-23032020-218851

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941

No. 1033]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

का.आ. 1151(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 2182(अ), तारीख 30 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 10 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"श्री आनन्द प्रकाश राणा
विशेष सम्पर्की, हरि भूमि
129, ट्रांसपोर्ट सेंटर,
पंजाबी बाग, दिल्ली-26

निवास: एच.नं. 5, कुतब गढ़, दिल्ली-39

संपर्क: 9818246804

rana.apr@gmail.com

[फा.सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2182(अ), तारीख 30 मई, 2018 और पश्चात्तवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 6358(अ), तारीख 28.12.2018 और का.आ. 3267(अ), तारीख 13.09.2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2020

S.O. 1151(E).—In pursuance of the provisions of sub-sections (3) and (5) of section 5 read with sub-sections (6) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2182(E), dated the 30th May, 2018, namely:-

2. In the said notification, against serial number 10, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri Anand Prakash Rana
Special Correspondent, Hari Bhoomi
129, Transport Centre,
Punjabi Bagh, Delhi – 26
Residence: H. No. 5, Qutab Garh, Delhi- 39
Contact: 9818246804

rana.apr@gmail.com

[F. No. M-22011/5/2017-Press]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii). *vide* number S.O. 2182(E), dated the 30th May, 2018 and was subsequently amended *vide* number S.O. 6358(E), dated 28.12.2018 and S.O. 3267(E), dated 13.09.2019.